

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-३)



मनरेगा टोल फी हैल्पलाइन नम्बर 1800-180-6606

क्रमांक एफ ६० (१०) ग्रावि/नरेगा/लोकपाल/२०१५-१६/

जयपुर, दिनांक

२४ SEP 2015

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम, राजस्थान
जिला अलवर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर,

विषय :— लोकपाल कार्यालय के लिये आवश्यक सुविधायें एवं तकनीक / प्रशासनिकी
सहयोग प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :— इस विभाग का पूर्व पत्र समसंख्यक दिनांक ०३.०६.२०१५

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र द्वारा महात्मा गांधी नरेगा
योजनान्तर्गत प्राप्त शिकायतों की जांच के लिये गियुक्त लोकपाल को उनके कार्य के त्वरित
एवं कुशलता पूर्वक संचालन के लिये आवश्यक तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग, कार्यालय
में बैठने के लिये कक्ष, पर्याप्त रस्टॉफ, कम्प्यूटर, प्रिन्टर, बिजली, टेलीफोन एवं शिकायत
बॉक्स आदि सुविधाये आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश शासन सचिव, ग्रामीण
विकास विभाग द्वारा दिये गये हैं।

विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, के अ.शा.पत्र समसंख्य दिनांक १३.०६.२०११ (प्रति
संलग्न) एवं प्रमुख शासन सचिव, के अ.शा.पत्र समसंख्यक पत्र दिनांक ३१.०३.२०१४ (प्रति
संलग्न) द्वारा लोकपाल को आवंटित कार्यों के सम्पादन हेतु पर्याप्त सुविधायें सुनिश्चित करने
के निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः कृपया आपके जिले में लोकपाल को कार्यों के सुचारू सम्पादन हेतु उपरोक्त
वर्णित पत्रों में निर्देशित व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने का श्रम करें।

भवदीय

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

(एस.आर.पिलानियां)

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय) ईजीएस

प्रतिलिपि :—

- लोकपाल, महात्मा गांधी नरेगा, जिला परिषद अलवर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, एवं बीकानेर
को सूचनार्थ प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय) ईजीएस

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



(मनरेगा टोल फी नम्बर 1800-180-6606)

क्रमांक एफ 60 (10) ग्रामीण/नरेगा/लोकपाल/14-15/

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम, राजस्थान
जिला.....

03 JUN 2015

जयपुर, दिनांक

विषय :— लोकपाल कार्यालय के लिये आवश्यक सुविधायें एवं तकनीक/प्रशासनिकी सहयोग प्रदान करने के संबंध में

संदर्भ :— भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय का पत्र क्रमांक एल-11033/5
/2013-RE-VII दिनांक 28.04.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्राप्त शिकायतों की जांच के लिये नियुक्त लोकपाल को उनके कार्य के त्वरित एवं कुशलता पूर्वक संचालन के लिये आवश्यक तकनीकी एवं प्रशारानिक सहयोग, कार्यालय में बैठने के लिये कक्ष, पर्याप्त स्टॉफ, कम्प्यूटर, प्रिन्टर, बिजली, टेलीफोन एवं शिकायत बॉक्स आदि सुविधायें आवश्यक रूप से उपलब्ध करने के निर्देश दिये गये हैं।

विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, के अ.शा.पत्र समसंख्यक दिनांक 13.06.2011 (प्रति संलग्न) एवं प्रमुख शासन सचिव, के अ.शा.पत्र समसंख्यक पत्र दिनांक 31.03.2014 (प्रति संलग्न) द्वारा लोकपाल को आवंटित कार्यों के सम्पादन हेतु पर्याप्त सुविधायें सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये गये हैं।

लोकपालों द्वारा प्रेषित वार्षिक रिपोर्ट में उनको कार्य सम्पादन के लिये अलग से कार्यालय-कक्ष, कम्प्यूटर एवं स्टॉफ, आवश्यक फर्नीचर, विशेष विशेषज्ञ एवं तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएँ उपलब्ध नहीं करने के कारण कार्य सम्पादन में विलम्ब होने की टिप्पणी अंकित की गई है।

अतः आपके जिले में लोकपाल को कार्यों के सुचारू सम्पादन हेतु उपरोक्त वार्षित पत्रों में निर्देशित व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाकर की गई कार्यवाही से अवगत करवानेका श्रम करें।

भवदीय

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है :—

1. अवर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को संदर्भित पत्र के क्रम में।
2. लोकपाल.....।
3. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय) इ.जी.एस



गवर्नमेंट जयते

Shreemati Pandey, I.A.S.
श्रीमति पाण्डेय, आई.ए.एस.

PRINCIPAL SECRETARY TO GOVERNMENT

प्रमुख शासन सचिव

RURAL DEV. & PANCHAYATI RAJ DEPTT.

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

Government of Rajasthan

राजस्थान सरकार

Government Secretariat, Jaipur-302 005

शासन सचिवालय, जयपुर--302 005

अ.शा.पत्र क्रमांक एफ 60 (10) ग्रावि/नरेगा/लोकपाल/13-14

जयपुर दिनांक 31.3.14

प्रिय श्री.....

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत शिकायतों के निर्स्तारण के लिये प्रत्येक जिले में लोकपाल नियुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा आपके जिले में लोकपाल नियुक्त किया जा चुका है। जिलों में लोकपाल कार्यालय के लिए कक्ष, फर्नीचर स्टेशनरी, टेलिफोन एवं स्टॉफ वाहन की न्यूनतम आवश्यकता के अनुरूप व्यवस्था उपलब्ध करवानी है। इसके लिये तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि द्वारा अपने अद्वैशसकीय पत्र दिनांक 13.06.2011 द्वारा लोकपाल को कार्यालय हेतु न्यूनतम सुविधाएँ उपलब्ध करवायें जाने के निर्देश दिये गये थे, जो सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

राज्य रत्तर पर दिनांक 05.03.2014 को आयोजित लोकपाल कार्यशाला में उपस्थित लोकपालों ने अवगत करवाया है कि उन्हें अभी तक लोकपाल कार्यालय हेतु आधारभूत सुविधायें जैसे कमरा, फर्नीचर, स्टॉफ, कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन, स्टेशनरी, एवं रथल निरीक्षण हेतु आवश्यकतानुसार वाहन इत्यादि उपलब्ध नहीं करवाये गये हैं, जिससे उनके समान्य कामकाज में कठिनाईयां आ रही है। यह स्पष्टतः भारत सरकार द्वारा लोकपाल हेतु जारी निर्देशों तथा इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना है। जिले में लोकपाल व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु लोकपाल कार्यालय का बोर्ड तथा लोकपाल द्वारा सुनवाई की जाने वाली महानरेगा एवं वाटरशेड प्रबंधन योजना की शिकायतों का बोर्ड भी लंगाया जावें एवं एक शिकायत पेटिका की व्यवस्था की जावें।

लोकपाल अब महात्मा गांधी नरेगा योजना के अलावा समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों का भी निर्स्तारण करेंगे। लोकपाल द्वारा समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम में लोकपाल की कार्य प्रणाली के संबंध में विभाग द्वारा जारी आदेश की प्रति भी इस पत्र के साथ संलग्न है। लोकपाल कार्यालय का व्यय आधा-आधा महात्मा गांधी नरेगा एवं जल भूसंरक्षण विभाग के प्रशासनिक/जिला रत्तर मॉनिटरिंग गद के अनुमत व्यय में से किया जावेगा। प्राप्त सूचना के अनुसार यह कई जिलों में अब तक नहीं हो रहा है।

अतः लोकपाल द्वारा किये जा रहे कार्यों के सुचारु संपादन हेतु उपरोक्त व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करवाकर, की गई कार्यवाही से मुझे अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(श्रीमति पाण्डेय)

प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं
परावि शासन सचिवालय जयपुर।

श्री.....

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस
जिला.....

सी.एस.राजन,

अतिरिक्त मुख्य सचिव,

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग;

राजस्थान जयपुर

दिनांक

| 3 JUN 2011

अ.शा.पत्र क्र.एफ 60(10)ग्रावि/नरेगा/लो.पा. 2011-12

प्रिय श्री

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 27 (1) के तहत योजनात्तर्गत शिक्षायतों के निस्तारण के लिए प्रत्येक जिले में लोकपाल नियुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा 20 जिलों में लोकपाल नियुक्त किये जा चुके हैं। इस विभाग के पत्र क्रमांक एफ 60(10) ग्रावि/नरेगा/लोकपाल/2010-11 दिनांक 18.10.2010 द्वारा राज्य में नियुक्त लोकपाल कार्यालय के लिए कक्ष, स्टाफ एवं फर्नीचर व्यवस्था के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये थे।

दिनांक 18.05.2011 को आयोजित लोकपालों की बैठक में खेंचगत कराया गया है कि जिलों में लोकपाल के कार्यालय के लिए कक्ष, फर्नीचर, स्टेशनरी, टेलिफोन एवं स्टाफ की न्यूनतम आवश्यकता के अनुरूप भी व्यवस्था उपलब्ध नहीं हैं लोकपाल पद पर नियुक्त महानुभाव प्रायः सेवानिवृत वरिष्ठ अधिकारी हैं अतः इस क्रम में लोकपाल कार्यालय के लिए कृपया निम्न न्यूनतम व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करायें।

1. कक्ष एवं फर्नीचर व्यवस्था : लोकपाल का कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अधिकार्या भवन में रखा जावे। लोकपाल कार्यालय हेतु एक कमरा कम से कम 10 x 15 फुट का जिसमें समुचित हवा, रोशनी की तथा भौसम के अनुकूल कमरे में कूलर/हीटर की व्यवस्था उपलब्ध करवायी जावे। कमरे में निम्न फर्नीचर की व्यवस्था भी की जावे –

- (1) एक बड़ी टेबल मय एकजीक्यूटिव कुर्सी।
- (2) दो अफिस टेबिल मय कुर्सीयाँ।
- (3) एक कम्प्यूटर टेबिल मय कुर्सी।
- (4) कम्प्यूटर, प्रिन्टर मय इन्टरनेट कनेक्शन/कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन इन्टरनेट कनेक्शन सहित की सुविधा।
- (5) टेलिफोन सुविधा।
- (6) विजीटर्स के लिए पर्याप्त कुर्सीयाँ (कम से कम -4)।

2. स्टॉफ व्यवस्था : लोकपाल कार्यालय हेतु न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर निम्न स्टाफ भी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से उपलब्ध कराया जावे—
- (1) एक स्टेनो।
 - (2) एक कनिष्ठ लिपिक।
 - (3) एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जिले में नियुक्त पर्यवेक्षक समन्वयक को लोकपाल कार्यालय एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक कार्यालय में समन्वय का कार्य भी सौंपा जावे।

3. स्टेशनरी व्यवस्था : लोकपाल कार्यालय, हेतु पर्याप्त स्टेशनरी उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जावे।
4. वाहन : आवश्यकतानुसार लोकपाल को, कार्य क्षेत्र में, कार्यस्थल का निरीक्षण / स्थल अन्वेषण करने के लिए वाहन उपलब्ध करवाया जाये।

आपके जिले में लोकपाल द्वारा किये जा रहे कार्यों के सुचारू संपादन हेतु कृपया उपरोक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित कर की गई कार्यवाही से मुझे अवगत कराने का कष्ट करें।

रामपाल

(सी.एस.राजन)

श्री

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांक एफ/ ()निजभूस/प्रश्ना/2012-13/३४-३५५

दिनांक:- ४.५.२०१३

आदेश

आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित अभाव अभियोग निराकरण के लिए प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध तिरताकरण करने व योजना के क्रियान्वयन में अवर्देशिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु एक निष्पक्ष प्रणाली की व्यवस्था आवश्यक है।

1. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश दिनांक 7.9.2009 के क्रम में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान द्वारा नियुक्त महात्मा गांधी नरेगा लोकपाल को उनके प्रभारित जिले में समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) के क्रियान्वयन से सम्बन्धित शिकायतों परिवाद, अभाव अभियोग के निराकरण के लिए भी लोकपाल एतद्वारा द्वारा नियुक्त प्रदत्त किया जाता है।
2. लोकपाल को समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) से सम्बन्धित ग्रामसभा, मजदूरी/नानदेय/पारिश्रमिक भुगतान, लिंग भेद, कार्य की गुणवत्ता, निविदा, जलग्रहण समिति, जलग्रहण विकास दल, फण्ड के उपयोग, सामाजिक अंकेक्षण एवं परियोजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित समस्त जिला रत्तर के गामले के सम्बन्ध में जॉच करने की अधिकारिता होगी। इनके द्वारा समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) के संचालन हेतु कार्यरत जिला रत्तर तक के समस्त अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जॉच भी की जा सकेगी।
3. लोकपाल द्वारा जिले में संचालित किसी भी जलग्रहण क्षेत्र परियोजना की शिकायतें किसी भी व्यक्ति यथा श्रमिक, कृषक या अन्य किसी भी व्यक्ति एवं जनप्रतिनिधियों व परियोजना क्षेत्र में कार्यरत ख्यालेवी संगठनों से प्राप्त शिकायतों की जॉच कर सकेंगे।
4. लोकपाल को ई भी व्यक्ति जो आई.डब्ल्यू.एम.पी. के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता हो वह स्वयं या उसका अधिकृत प्रतिनिधि लोकपाल के समक्ष सादा कागज पर अपना पूर्ण नाम व पता दर्शाते हुए लिखित व हस्ताक्षरित शिकायत प्रस्तुत कर सकेगा। शिकायतकर्ता इलेक्ट्रानिक माध्यम से भी शिकायत कर सकेगा, इस परिस्थिति में शिकायतकर्ता को विधिवत इलेक्ट्रानिक माध्यम से भेजी गई शिकायत के प्रिन्टआउट पर लोकपाल के समक्ष उपस्थित होकर शीघ्रातशीघ्र हस्ताक्षर करने होंगे, इसी दशा में शिकायत पर लोकपाल द्वारा विचार किया जावेगा।
5. शिकायतकर्ता को जिन व्यक्ति या विषय, जिसके सम्बन्ध में शिकायत हो वा पूर्ण विवरण, नाम, पता व दरतावेज शिकायत के साथ प्रस्तुत करने होंगे। अहस्ताक्षरित व गणनाएँ विवरणित नहीं की जायेंगी।

निदेशक जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, राज. जयपुर को इस बावत अवगत करा सकेंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एस.एल.एन.ए. एवं निदेशक जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, राज. जयपुर लोकपाल को वॉचिट अभिलेख उपलब्ध कराने में सहयोग करेंगे।

10) लोकपाल द्वारा समर्त साक्ष्य लेने के बाद उस पर भली प्रकार विचार करने के बाद प्रत्येक आरोप पर आपना निष्कर्ष व्यक्त करते हुए निर्णय सुनाया जावे।

3. महात्मा गांधी नरेगा लोकपाल आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजना से सम्बन्धित शिकायतों, परिवाद, अगाव अभियोग के निरस्तारण के लिए भारत सरकार द्वारा जारी कामेन गाईडलाईन 2011 व राज्य सरकार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.एल.एन.ए. एवं निदेशक जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, राज. जयपुर द्वारा जारी परिपत्रों/निर्देशों का प्रयोग प्राप्त शिकायतों के निरस्तारण हेतु नियमों के रूप में करेंगे। उक्त गाईडलाईन, परिपत्रों/निर्देशों की जानकारी/प्रशिक्षण मुख्य कार्यकारी एस.एल.एन.ए. एवं निदेशक जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, राज. जयपुर उपलब्ध करायेंगे।

9. लोकपाल के निर्णय/आदेश/जुर्माना, मनरेगा में प्रचलित प्रावधान के अनुरूप दोनों पक्षों पर वाध्यकारी होंगे एवं पारित निर्णय/आदेश/जुर्माने के विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं होगा, केवल सक्षम न्यायालय, जो कि जिला स्तर का होगा के समक्ष ही चुनौती ती जा सकेगी। लोकपाल अपने निर्णय में 2,000.00 रुपये तक जुर्माना दण्ड के रूप में लगा सकेंगे, जुर्माने से प्राप्त राशि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एस.एल.एन.ए. एवं निदेशक जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, राज. जयपुर के खाते में जमा कराई जावेगी।

10. लोकपाल द्वारा आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजना से सम्बन्धित प्रकरणों की मासिक रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर को प्रेषित की जानेगी, जिसमें आई.डब्ल्यू.एम.पी. से सम्बन्धित प्राप्त एवं निरस्तारित शिकायतों का व्यौरा होगा।

लोकपाल के कर्तव्य व दायित्व लोकपाल मनरेगा के समरूप होंगे एवं इनको अन्दर गनरेगा मानदेय के अनुरूप प्रति सुनवाई/वैठक देय होगा एवं लोकपाल व्यवस्था र हाँने वाले व्यय का आधा भाग आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजना के जिला स्तर के मॉनीटरिंग द से वहन किया जावेगा।

(सी. एस. राजन)

अतिरिक्त मुख्य सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
एवं अध्यक्ष, एस.एल.एन.ए.

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-३, नरेगा)



क्रमांक एफ 60(10)ग्रावि./नरेगा/लोकपाल/2011-12

जयपुर दिनांक

5 SEP 2011

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत लोकपालों की नियुक्ति के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्रामीण विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से लोकपाल नियुक्ति के संबंध में प्राप्त आदेश दिनांक 07.09.09 के तहत योजनान्तर्गत शिकायतों के निस्तारण के लिये राज्य के जिलों में लोकपाल नियुक्त किये गये हैं। जिलों में नियुक्त लोकपालों द्वारा समय-समय पर स्थानीय परिवहन, भोजन एवं ठहराव भत्ते की समस्याओं से अवगत करवाया गया है। अतः इस संबंध में निम्नांकित दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं, कृपया इनकी पालना सुनिश्चित करावें :—

1. जिन लोकपालों का पदस्थापन निवास स्थान के जिले के अतिरिक्त किसी दूसरे जिले में हो तो कार्य दिवसों की समय सीमा में संभागीय स्तर के जिलों पर 500/- रुपये तथा अन्य जिला स्तर पर 400/- रुपये प्रतिदिन एक मुश्त ठहरने, भोजन व्यवस्था एवं स्थानीय परिवहन सहित दिया जावे।
2. जिन लोकपालों का निवास जिला मुख्यालय पर ही है, लेकिन उनके लोकपाल कार्यालय से आवास तक आने-जाने की कुल दूरी, 16 किमी से अधिक तय करनी पड़ती है तो उन्हें 16 किमी से अधिक तय की जाने वाली दूरी के लिए 4.50 (चार रुपये पचास पैसे मात्र) प्रतिकिलोमीटर की दर से वाहन भत्ता दिया जावे।
3. लोकपाल पर होने वाला व्यय महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 22(1)(सी) के तहत प्रतिशत प्रेशासनिक व्यय में से किया जावे।

अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

मवदीय

५८८ | ९ | ११
(तिथ्य कुनार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

नोटिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रवित है :—

विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।

नेजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभग।

जी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।

ग कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, समस्त राजस्थान।

/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस

/द्वितीय) जिला परिषद, समस्त राजस्थान।

र श्री

। मुख्यालय, ईजीएस।
रती।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रश्नम), ईजीएस

126

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ ६०(१०)ग्रा.वि./नरेगा/लोकपाल/2012-13

जयपुर, दिनांक :


२७ JUN 2013

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान
समस्त राजस्थान।

विषय: महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नियुक्त लोकपाल के प्रति वैठक
मानदेय के सम्बन्ध में।


उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा
महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत लोकपाल नियुक्ति सम्बन्धी संशोधित
दिशा निर्देश दिनांक 24.5.2013 को जारी किये हैं। संशोधित दिशा निर्देश
के अनुसार लोकपाल को देय मानदेय में परिवर्तन कर आव प्रति वैठक रु.
1000/- (अक्षरे रूपये एक हजार मात्र) देय होंगे, जिसकी अधिकतम
सीमा रु. 20,000/- प्रतिमाह होगी। यह आदेश दिनांक 1.06.2013 से
प्रभावी होंगे।

लोकपाल पर होने वाला व्यय महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005
की धारा 22(1) सी के तहत अनुमत 6 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय से किया
जावेगा।


अतिरिक्त मुख्य सचिव,
ग्रा.वि. एवं प.रा.विभाग

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला
परिषद समस्त राजस्थान।
2. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नियुक्त समस्त लोकपाल।
3. कार्यालय प्रति।


अतिरिक्त आयुक्त(प्रथम), इंजीरस।